रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04122024-259156
CG-DL-E-04122024-259156

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 970] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 4, 2024/अग्रहायण 13, 1946
No. 970] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 4, 2024/AGRAHAYANA 13, 1946

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2024

फा. सं. एचक्यू-13079/10/2024-अधि.II(ई).—आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 54 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एतद्द्वारा आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) विनियम, 2021 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत: :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन विनियमों को आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) द्वितीय संशोधन विनियम, 2024 कहा जाएगा।

(2)ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) विनियम, 2021 में,—

(क) विनियम 2 में, उप-विनियम (1) के खंड (थ) में, "अनुरोधकर्ता संस्था" शब्दों के लिए, "अनुरोधकर्ता संस्था" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) विनियम 12 में,—

(i) लघु शीर्षक में, "अनुरोधकर्ता संस्थाओं तथा अधिप्रमाणन सेवा एजेंसियों" शब्दों के लिए, "अनुरोधकर्ता संस्था और अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; और

(ii) उप-विनियम (6) में, "प्राधिकरण" शब्दों के लिए, निम्नलिखित शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: :—

"प्राधिकरण, यदि यह पाता है कि प्रबंधन का सामान्य चरित्र और आवेदक की वित्तीय स्थिति आम जनता की सूचना की सुरक्षा और गोपनीयता के हित सुनिश्चित करने के लिए ठीक है, तो वह, —";

(ग) विनियम 22 में, उप-विनियम (4) में, "अनुरोधकर्ता संस्थाएं, अधिप्रमाणन सेवा एजेंसियाँ तथा ऑफलाइन सत्यापन चाहने वाली संस्थाएं" शब्दों के लिए, "प्रत्येक अनुरोधकर्ता संस्था, अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी और ऑफलाइन सत्यापन चाहने वाली संस्था" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; और

(घ) विनियम 23 में, उप-विनियम (1) में, "अनुरोधकर्ता संस्था" शब्दों के लिए, "अनुरोधकर्ता संस्था" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

संजीव यादव, निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./740/2024-25]

नोट : मूल विनियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, को दिनांक 9 नवंबर, 2021 में, अधिसूचना संख्या के-11020/240/2021/अधि./ यूआईडीएआई (2021 की संख्या 2) दिनांक 8 नवंबर, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार संख्या एचक्यू-13073/1/2020-अधि.II(ई) दिनांक 31 जनवरी, 2024 द्वारा संशोधित किया गया।

UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd December, 2024

F. No. HQ-13079/10/2024-AUTH-II(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 54 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the Unique Identification Authority of India hereby makes the following regulations to further amend the Aadhaar (Authentication and Offline Verification) Regulations, 2021, namely:—

1. Short title and commencement. — (1) These regulations may be called the Aadhaar (Authentication and Offline Verification) Second Amendment Regulations, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Aadhaar (Authentication and Offline Verification) Regulations, 2021,—

(a) in regulation 2, in sub-regulation (1), in clause (o), for the words “Requesting entity”, the words “requesting entity” shall be substituted;

(b) in regulation 12,—

(i) in the short title, for the words “Requesting Entities and Authentication Service Agencies”, the words “requesting entity and Authentication Service Agency” shall be substituted; and

(ii) in sub-regulation (6), for the words “the Authority may:”, the following words shall be substituted, namely:—

"the Authority may, if it is satisfied that the general character of management and the financial condition of the applicant are sound for securing the interests of privacy and security of information of the general public,—";

(c) in regulation 22, in sub-regulation (4), for the words "Requesting Entities, Authentication Service Agencies and Offline Verification Seeking Entities", the words "Every requesting entity, Authentication Service Agency and Offline Verification Seeking Entity" shall be substituted; and

(d) in regulation 23, in sub-regulation (1), for the words "Requesting Entity", the words "requesting entity" shall be substituted.

SANJEEV YADAV, Director

[ADVT.-III/4/Exty./740/2024-25]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 9th November, 2021, *vide* notification number K-11020/240/2021/Auth/UIDAI (No. 2 of 2021), dated the 8th November, 2021 and last amended *vide* number HQ-13073/1/2020-AUTH.II(E), dated the 31st January, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.12.04 21:20:30 +05'30'